न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, जिला कोटा, राजस्थानः–0744–2325871

GCMS ID- 2003/00030

मिसल नम्बर–416/2006

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान। प्रार्थीया।

बनाम

1.जितेन्द्र भण्डारी पुत्र श्री गौतमचंद भण्डारी निवासी महावरी मिशन होस्पीटल, कोटा बूंदी रोड़, कुन्हाड़ी कोटा।

अप्रार्थी।

प्रार्थना–पत्र

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत्)

–:निर्णयः–

दिंनाकः 3/11/25

उपस्थितिः–

1.सरकार पैरोकार।

2.श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी।

आवेदक श्री हीरालाल भंसाली के प्रार्थनापत्र को अंतर्गत धारा 136 में भू–राजस्व अधिनियम दर्ज किया गया। प्रार्थी हीरालाल भंसाली द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि तहसील लाडपुरा के ग्राम कुन्हाड़ी का ख0 नं0 64 पी. डब्लू.डी के खाते में दर्ज है। ख0 नं0 64 से रकबा एक बिस्वा ख0 नं0 47/352 में गै0मु0 मकान दर्ज करने के आदेश श्रीमान् ए एस ओ साहब ने मिसल नं0 246 में दिनांक 31/12/59 को दिए जिसकी पालना करके खसरा तरमीम पर नोट अंकित किया। इसी क्रम में पुनः ख0 नं0 64 से रकबा तीन बिस्वा माल सोयम ख. नं. 47/353 में व रकबा तीन बिस्वा माल सोयम के बजाय गे.मु. मकान करके ख0 नं0 47/352 दर्ज करने का आदेश श्रीमान् ए.एस.ओ साहब ने मिसल नं0 264 में दिनांक 8/02/60 को दिए जिसका अमल दरामद करके खसरा तरमीम पर अंकित किया। खसरा नं0 64 रकबे से बने ख0 नं0 47/352 व 47/352 मूल ख0 नं0 64 पी. डब्लू.डी का होने के कारण पी. डब्लू.डी के खातेदारी में दर्ज होने चाहिए, लेकिन श्रीमान् ए.एस. ओ साहब ने मिसल नं0 127 में दिनांक 3/12/62 को आदेश पारित करके ख0 नं0 47/352 तथा 47/353 सिवायचक से खारीज करकेः–

(1), किशोरमल (मृतक), (2), गौतम चंद (मृतक), (3) नरेंद्र चंद (4), सुरेंद्र सिंह के नाम दर्ज करने के आदेश के तहत किशोरमल, गौतम चंद, नरेंद्र चंद, सुरेंद्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सिंह की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश का अमल दरामद करके खसरा तरमीम पर नोट अंकित कर दिया।

सेंटलमेंद विभाग के सहायक सेटलमेंट अधिकारी को सिवायचक राज्य सरकार/पी.डब्लू.डी की आराजी को उनकी खातेदारी से खारीज कर अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था अतः प्रार्थी राज्यहित व जनहित में निवेदन करता है कि श्रीमान् ए.एस.ओ द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर दिए गए आदेश मिसल नं0 127 दिनांक 3/12/62 को निरस्त करके अतिक्रमियों को तुरंत बदेखलकर भूसंपत्ति को राज्य सरकार/पी.डब्लू. डी में अधिग्रहण किया जाना उचित होगा।

अप्रार्थी श्री जितेंद्र भण्डारी को तलब किया गया।

अप्रार्थी श्री जितेंद्र भण्डारी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि शिकायकर्ता हीरालाल भंसाली की प्रार्थना पर यह कार्यवाही दर्ज हुई है, जो सर्वथा असत्य है। हीरालाल भंसाली ने प्रतिपक्षी के विरूद्ध अनेकों झूठी शिकायतें कर रखी हैं तथा प्रतिपक्षी को ब्लेकमेल करना चाहता है। प्रस्तुत मामला पुराने खसरा नंबर 47 से संबंधित है खसरा नंबर 47/352 व 47/353 मूल खसरा नंबर 47 से ही बने हैं। खसरा नंबर 47 के पास पी.डब्लू.डी का कोई खसरा नंबर 64 नहीं है इसलिये खसरा नंबर 64 का हिस्सा प्रतिपक्षी की भूमि में मिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिपक्षी ने अपने जवाब में संपूर्ण तथ्य आलेखित किए है।

पूर्व में भी हीरालाल भंसाली के शिकायत के आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रतिपक्षी की जमीन बढ़ने की शिकायत जिला कलेक्टर कोटा को की गई थी तथा रेफरेंस की कार्यवाही कर प्रतिपक्षी की भूमि कम करने की प्रार्थना की थी। तहसील लाडपुरा (सरकार) की कार्यवाही पर जिला कलेक्टर कोटा ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 17.06.2002 को यह आदेश पारित किया था कि प्रतिपक्षी की भूमि में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हुई है और सरकार की रेफरेंस की कार्यवाही निरस्त कर दी थी। उक्त कार्यवाही में भी खसरा नंबर 47/353 व 47/352 की भूमियां सम्मिलित थीं। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 250 की 9 बिस्वा भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड कोटा द्वारा प्रतिपक्षी की बाउन्ड्री वाल को अपना बताकर तोड़ दिया था, जिस पर प्रतिपक्षी ने राजस्थान राज्य एवं अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्ध कार्यवाही की थी, जिसमें प्रति0 सिविल न्यायाधीश क्रम 5 उत्तर कोटा ने खसरा नंबर 250 की भूमि प्रतिपक्षी की मानकर राज्य सरकार व अधिशासी अभियंता को पाबंद करने का निर्णय दिनांक 29.05.2003 को पारित किया था, जिसकी अपील भी राज्य सरकार व अधिशासी अभियंता द्वारा करने पर अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 कोटा के राज्य सरकार व अधिशासी अभियंता की अपील अपने निर्णय दिनांक 31.08.2004 से खारिज कर दी।

वैसे भी धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही सही की जा सकती है अथवा पक्षकारों की सहमति से कोई त्रुटि सही की जा सकती अन्य कार्यवाहिया जैसे खातेदारी बदलना धारा 136 के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज कोटा लि0 बनाम रेलवे विभाग ने प्रतिपादित किया है, जो 2017 (2)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आर.आर.टी पेज 10 पर उल्लेखित निर्णय में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उक्त निर्णयों के परिपेक्ष्य में भी इस सम्मानीय न्यायालय को प्रस्तुत मामले में कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र सरकार अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में बहस सुनी गई। अप्रार्थी जितेंद्र भण्डारी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अध्ययन किया व बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

पत्रावली में संलग्न खसरा तरमीम पर अंकित टिप्पणी से यह प्रतीत होता है कि ख0 नं0 64 से ख0 नं0 47/352 व 47/353 का निर्माण हुआ है, लेकिन नक्शे के अवलोकन से अप्रार्थी का यह कथन प्रमाणित होता है कि ख0 नं0 47/352 व 47/353 के समीप सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई खसरा नहीं है। राजस्व में वैसे भी नवीन खसरा नंबर को अंकित करने के स्पष्ट प्रावधान है, जिसके तहत् मूल खसरे से बनने वाले नवीन नंबरों में मूल खसरा नं0 के साथ गांव का अंतिम नं0 डाला जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि खसरा नं0 47/352 व 47/353 का निर्माण मूल खसरा नं0 47 से हुआ है, पत्रावली में संलग्न राजस्व मानचित्र भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि खसरा नं0 47/352 व 47/353 का निर्माण खसरा नं0 47 से ही हुआ खसरा नं0 64 से नहीं। इस परिस्थिति में यह स्पष्ट होता है कि खसरा तरमीम में प्रविष्टि सहवन से हो गई है।

उक्त परिस्थिति में जबकि यह प्रमाणित है कि खसरा नं0 47/ 352 व 47/353 का निर्माण खसरा नं0 47 से ही हुआ है हम प्रस्तुत आवेदन को निरस्त न्यायोचित पाते हैं।

अतः वादी राज्य सरकार/श्री हीरालाल भंसाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा